सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः– 17.02.2021

प्रार्थना पत्र सं.:– 2021 / 07

1. सांवरमल पुत्र रिधकरण जाति कुम्हार निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू
2. भंवरी पुत्री रिधकरण पत्नी श्रवण जाति कुम्हार (कारगवाल) निवासी वार्ड संख्या 46 डाबला रोड, चूरू तहसील व जिला चूरू
3. सरस्वती पुत्री रिधकरण पत्नी परमेश्वर लाल जाति कुम्हार निवासी बुंटिया तहसील व जिला चूरू
4. सावित्री पुत्री रिधकरण पत्नी औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी बुंटिया तहसील व जिला चूरू

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. रिधकरण पुत्र स्व. बजरंगलाल जाति कुम्हार निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू
2. गिरधारी लाल पुत्र रिधकरण जाति कुम्हार निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू
3. औंकारमल पुत्र रिधकरण जाति कुम्हार निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू
4. सुरेश पुत्र रिधकरण जाति कुम्हार निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू
5. रामचन्द्र पुत्र रिधकरण जाति कुम्हार निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू
6. लक्ष्मी पुत्री रिधकरण पत्नि सुरेश कुमार जाति कुम्हार (कारगवाल) निवासी वार्ड सख्या 15. प्रजापत चौक फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर
7. मनोहर पुत्री रिधकरण पत्नि राजेश कुमार तूनवाल जाति तूनवाल धोडेला भवन के पास बिसाऊ जिला झुंझुनूं (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री ललित गौतम
अप्रार्थी सं. 1 :– श्री योगेश शर्मा
अप्रार्थी सं. 2 ता 7:– श्री पवनसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अन्तर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

सांवरमल बनाम रिधकरण आदि
2021 / 07
निर्णय दिनांकः—04.05.2026

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण सांवरमल आदि ने विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 321, 322 आदि (रोही घण्टेल) के सम्बन्ध में मुख्य वाद के साथ यह स्थगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण का तर्क है कि वे उक्त भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं और प्रतिवादीगण भूमि के स्वरूप या स्वत्व को अंतरित कर उनके हितों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं।

2. प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री पवनसिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 भूमिधारी हैं।

3. प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। इसके बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही जवाब हेतु कोई तर्कसंगत आधार पेश किया गया। अतः न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब को रोकने हेतु अप्रार्थीगण का जवाब देने का अवसर बन्द किया गया तथा पत्रावली बहस प्रार्थीगण हेतु नियत की गई।

   - प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीगण सांवरमल, भंवरी, सरस्वती एवं सावित्री, प्रतिवादी संख्या 01 रिधकरण की संतानें हैं और वादग्रस्त भूमि पूर्णतः पैतृक प्रकृति की है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्मजात कानूनी हिस्सा निहित है । प्रार्थीगण का परिवार उक्त भूमि पर वर्षों से निरंतर काबिज होकर काश्त कार्य (खेती) करता आ रहा है । यह कब्जा शांतिपूर्ण और निर्बाध है। प्रतिवादी सं. 1 केवल राजस्व रिकॉर्ड (खातेदारी) में अपना नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं । वे प्रार्थीगण को उनके विधिक हिस्से से वंचित करने की नियत रखते हैं और भूमि को खुर्द—बुर्द करने या किसी अन्य पक्ष को विक्रय / रहन करने की फिराक में हैं । यदि वर्तमान में प्रतिवादीगण को भूमि के अंतरण या स्वरूप परिवर्तन से नहीं रोका गया, तो प्रार्थीगण को अपूरणीय विधिक क्षति होगी । अतः मुख्य वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बहाल रखी जावे।

4. यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है, न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं उभय पक्षकारान की बहस का परिशीलन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के विधिक सिद्धांतों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के परिप्रेक्ष्य में विवेचना निम्न प्रकार हैः—

   - प्रथम दृष्टया मामला एवं कब्जे की स्थितिः यद्यपि प्रार्थीगण ने लंबे समय के कब्जे का दावा किया है, किंतु राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 रिकॉर्डेड खातेदार के रूप में दर्ज हैं। स्थापित विधिक सिद्धांत के अनुसार, एक सह—खातेदार या गैर—खातेदार तब तक रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध निषे[illegible] करने का अधिकारी नहीं है, जब तक कि वह अपना विशिष्ट हि[illegible] साक्ष्यों से निर्विवाद रूप से सिद्ध न कर दे। अतः प्रार्थी के [illegible] Facie Case) स्थापित नहीं होता है।

   - सुविधा का संतुलनः चूंकि अप्रार्थी सं. 1 वर[illegible] में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विधिक स्वामित्व रखते हैं, अतः उन्हें अपनी भूमि के विधिक उपभोग या अंतरण से वर्जित करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा के संतुलन के विधिक सिद्धांत के विपरीत होगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों मात्र से अप्रार्थी के विधिक अधिकारों को दौराने दावा सीमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

- अपूर्णीय क्षति : प्रार्थीगण यह प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं कि यदि स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाता, तो उन्हें ऐसी क्षति होगी जिसकी भविष्य में विधिक क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज होने से उसे कोई 'अपूर्णीय विधिक क्षति' नहीं पहुँचती है।

5. अतः इस संबंध में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति स्थापित नहीं होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय निम्न आदेश पारित करता हैः–

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, उपर्युक्त कारणों के आधार पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested